

# मध्यप्रदेश विधान सभा

(संविधान) कम्पनी निम्नोक्त दिनांक पर विधान सभा में लिखा दिया गया है।  
करवारी-अप्रैल, 1995 सत्र  
कानून तथा नियमों के अनुच्छेद के अनुसार इस विधान सभा में लिखा दिया गया है।

नियमों का अधिकारी नियमों के अनुसार इस विधान सभा में लिखा दिया गया है।  
मंगलवार, दिनांक 4 अप्रैल, 1995 (वैदेत 14, 1917)  
समय 10.30 बजे दिया गया है।

प्राचीन विधायक द्वारा दिया गया विधान सभा में लिखा दिया गया है।  
प्राचीन विधायक द्वारा दिया गया विधान सभा में लिखा दिया गया है।

प्राचीन विधायक द्वारा दिया गया विधान सभा में लिखा दिया गया है।  
प्राचीन विधायक द्वारा दिया गया विधान सभा में लिखा दिया गया है।

## 2. पश्चोत्तर पटल पर रक्षा आना

प्राचीन विधायक द्वारा दिया गया विधान सभा में लिखा दिया गया है।  
प्राचीन विधायक द्वारा दिया गया विधान सभा में लिखा दिया गया है।  
प्राचीन विधायक द्वारा दिया गया विधान सभा में लिखा दिया गया है।  
प्राचीन विधायक द्वारा दिया गया विधान सभा में लिखा दिया गया है।

## 3. नियम 136 (1) के अधीन ध्यानाकरण

प्राचीन विधायक (1) श्री गोपल परमार, डॉ. गौरीशंकर शेजवार तथा श्री गिरिशार्ज मण्डलोई,  
सदस्य, मन्दसीर में दहेज लोभियों द्वारा एक विवाहिता की हत्या किये जाने से  
उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

प्राचीन विधायक (2) श्री अरुण बोरा, सदस्य, बस्तर जिले के ग्राम रनीबोदनी में एक कान्या  
आश्रम की छोटी कक्षा की छात्रा को अवैध गर्भ ठहरने से उत्पन्न स्थिति की ओर  
आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

प्राचीन विधायक (3) श्री सत्यप्रत चतुर्वेदी, सदस्य, छतरपुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा  
जिले पंचायत अध्यक्ष के साथ दुर्घटवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

प्राचीन विधायक (4) सर्वश्री प्रभात कुमार पाण्डेय तथा रामलखन शर्मा, सदस्य, जबलपुर के  
मध्यप्रदेश विधुत संघर्ष कारखाने के बंद होने से श्रमिकों में बेरोजगारी से उत्पन्न  
स्थिति की ओर राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे।

## 4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

प्राचीन विधायक द्वारा दिया गया विधान सभा में लिखा दिया गया है।  
प्राचीन विधायक द्वारा दिया गया विधान सभा में लिखा दिया गया है।

## 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बल्लन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के -

(क) ग्राम गोशपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने ;  
(ख) ग्राम पहाड़ी स्थित उ.पा. विद्यालय को शासनाधीन लिये जाने ;  
(ग) जबलपुर जिले के अनेक ग्रामों के कृषकों को कुरं से सिंचाई हेतु विधुत  
कनेक्शन दिलाये जाने ;

(2) श्री थावरचन्द गेहलोत, सदस्य, भोपाल के (टी.टी.नगर स्थित) गीतांजली छोरा हे  
से मॉडल हाईस्कूल तक सड़क ढीड़ी करवाये जाने ;

(3) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, मन्दसीर जिले के ग्राम इसाकपुर के पास नदी  
पर पुल बनाये जाने ; तथा

(4) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, सतना जिले के ग्राम धोबहट के कृषकों को क्षतिपूर्ति  
के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे।

## मुख्य मंत्री विधेयक

### ६. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, राज्यमंत्री ऊर्जा, मध्यप्रदेश विधुत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 13 सन् 1995) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

(2) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1995 (क्रमांक 14 सन् 1995) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

**निर्धारित समय**  
1 घन्टा

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

1 घन्टा

(3) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1995 (क्रमांक 10 सन् 1995) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

1 घन्टा

(4) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1995 (क्रमांक 11 सन् 1995) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

### 7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा

प्रदेश के कई श्रम न्यायालयों में श्रम न्यायाधीशों की नियुक्ति न किये जाने से 30 मि. प्रकरणों के लिए रहने के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, कंकर मुंजारे तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

### 8. नियम 52 के अधीन आजे चन्दे की चर्चा

(1) दिनांक 14 दिसम्बर, 1994 को उप मुख्यमंत्री (कृषि) से पूछे गये परिवर्तित अतारोकित प्रश्न संख्या 41 (क्रमांक 2609) एवं प्रश्न संख्या 42 (क्रमांक 2610) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

(2) दिनांक 23 फरवरी, 1995 को नगरीय कर्त्तव्य मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारोकित प्रश्न संख्या 40 (क्रमांक 1035) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

भोपाल :

दिनांक : ३ अप्रैल, 1995

शीला खण्डा

मध्यप्रदेश विधान सभा

मुख्यमंत्री की इच्छा के लिए विधेयक का विवरण दिया गया है।

मुख्यमंत्री की इच्छा के लिए विधेयक का विवरण दिया गया है।

मुख्यमंत्री की इच्छा के लिए विधेयक का विवरण दिया गया है।

मुख्यमंत्री की इच्छा के लिए विधेयक का विवरण दिया गया है।